# न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा, आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या : 11/2023 FSSA**

1. सरकार जरिये डॉ0 मदनलाल गूजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री राकेश कुमार विजय पुत्र श्री रामजीलाल विजय एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री बालाजी प्रोविजन स्टोर, नगरपालिका के पास बांदीकुई, जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 26.09.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ0 मदनलाल गूजर ने दिनांक 07.12.2022 को 02.39 पीएम पर मैसर्स श्री बालाजी प्रोविजन स्टोर नगरपालिका के पास बांदीकुई जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर श्री राकेश कुमार विजय पुत्र श्री रामजीलाल विजय उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर स्वयं को श्री बालाजी प्रोविजन स्टोर नगरपालिका के पास बांदीकुई जिला दौसा का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र आवेदन दिखाया। निरीक्षण के समय फर्म पर अन्य खाद्य पदार्थो के साथ एक प्लास्टिक केन में लगभग 10—12 कि.ग्रा. केरी का आचार खुला सरसों तेल से निर्मित (**Mango Pickle Made from Mustard Oil Loose**) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो विक्रेता श्री राकेश कुमार विजय को फार्म 5 ए की सूचना देते हुये विक्रेता व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह खाद्य पदार्थ आचार खुला सरसों तेल से निर्मित (**Mango Pickle Made from Mustard Oil Loose**) वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उसमें से 2 किलोग्राम आचार खुला सरसों तेल से निर्मित (**Mango Pickle Made from Mustard Oil Loose**) वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 280/—(अक्षरे दो सौ अस्सी रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ आचार खुला सरसों तेल से निर्मित (**Mango Pickle Made from Mustard Oil Loose**) को विक्रेता एवं गवाहान को दिखाकर 500—500 ग्राम साफ व सूखे स्टल चम्मच से लेकर अलग—अलग स्थानों पर चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में इलेक्ट्रोनिक मापक मशीन से तुलवाकर भरकर प्रत्येक डिब्बे के ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिये गये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक AG-3117 अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल पर विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारो नमूना भागों को अलग–अलग एक खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर AG-3117 को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कायार्लय CM&HO दौसा को भेजकर दिनांक 08.12.2022 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर में तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाये। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 08.12.2022 को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से उक्त खाद्य पदार्थ केरी का आचार खुला सरसों तेल से निर्मित (Mango Pickle Made from Mustard Oil Loose) की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस./871/एक्ट/2022/871 दिनांक 15.12.2022 प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ केरी का आचार खुला सरसों तेल से निर्मित (Mango Pickle Made from Mustard Oil Loose) का नमूना (Substandard) अवमानक स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./871/एक्ट/2022/871 दिनांक 15.12.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ केरी का आचार खुला सरसों तेल से निर्मित (Mango Pickle Made from Mustard Oil Loose) के नमूने की जांच में Draines Weight %(By Weight) 54.25% पाया गया है। जो मानक स्तर के अनुसार कम से कम 60.0 प्रतिशत होना चाहिये। Iodine Value of extracted oily matter 124.60 पाया गया है जो मानक स्तर के अनुसार 96.0 से 112.0 में मध्य हेना चाहिये। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ केरी का आचार खुला सरसों तेल से निर्मित का अवमानक (Substandard) स्तर का विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा बाजार में से अच्छी किस्म के मसाले व तेल खरीदकर आचार बनाया जाता है। जिसमे किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। नमूने की जांच में पाई गई कमी को सुधार किया जायेगा एवं भविष्य में उक्त आचार के निर्माण में ऐसी गलती नहीं हो इसका ध्यान रखा जायेगा। प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रोप फरमाने का अनुरोध किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./871/एक्ट/2022/871 दिनांक 15.12.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ केरी का आचार खुला सरसों तेल से निर्मित (**Mango Pickle Made from Mustard Oil Loose**) का नमूना अवमानक (**Substandard**) स्तर का पाया गया है। जिसका विक्रय कर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अवमानक (**Substandard**) स्तर का खाद्य पदार्थ केरी का आचार खुला सरसों तेल से निर्मित (**Mango Pickle Made from Mustard Oil Loose**) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री राकेश कुमार विजय पुत्र श्री रामजीलाल विजय एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री बालाजी प्रोविजन स्टोर, नगरपालिका के पास बांदीकुई, जिला दौसा पर 8000/–( अक्षरे आठ हजार रूपये ) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 26.09.2023 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( राजकुमार कस्वा )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते

क्रमांक/FSSA/ दिनांकः– 26.09.2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री राकेश कुमार विजय पुत्र श्री रामजीलाल विजय एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री बालाजी प्रोविजन स्टोर, नगरपालिका के पास बांदीकुई, जिला दौसा।

( राजकुमार कस्वा )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा